न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

<u>प्रकरण संख्या– अपील डिक्री/टीए/115/2005/नागौर</u>

1– श्रीकिशन पुत्र हरीबक्स मृतक जरिये वारिसानः–
1/1–जगदीशसिंह पुत्र स्व0 श्रीकिशन
1/2–किशोरसिंह पुत्र स्व0 श्रीकिशन
1/3–सम्पतसिंह पुत्र स्व0 श्रीकिशन
1/4–चांदकंवर पुत्री स्व0 श्रीकिशन
1/5–मंजूकवर पुत्री स्व0 श्रीकिशन
1/6–सन्तोष कंवर पुत्री स्व0 श्रीकिशन
समस्त जाति दरोगा निवासी ग्राम झाडौद तहसील डीडवाना जिला नागौर

–अपीलार्थीगण

–बनाम–

1– मदनलाल पुत्र किशन मृतक जरिये विधिक वारिसानः–
1/1–श्रीमति जानकीकंवर पत्नि स्व0 मदनलाल
1/2–विक्रमसिंह पुत्र स्व0 मदनलाल
1/3–मनोहरकंवर पुत्री स्व0 मदनलाल
1/4–राजकंवर पुत्री स्व0 मदनलाल
1/5–ओमकंवर पुत्री स्व0 मदनलाल
2– जेठाराम पुत्र किशनलाल
3– हनुमानराम पुत्र किशनलाल
4– दीपाराम पुत्र किशनलाल
समस्त जाति दरोगा निवासी बेडवा तहसील डीडवाना जिला नागौर

–प्रत्यर्थीगण

5– भंवरसिंह पुत्र स्व0 श्रीकिशन
6– नाथूसिंह पुत्र स्व0 श्रीकिशन
समस्त जाति दरोगा निवासी बेडवा तहसील डीडवाना जिला नागौर

–तरतीबी प्रत्यर्थीगण

<u>खण्डपीठ</u>
श्री हेमन्त कुमार गेरा, अध्यक्ष
श्री राजेश कुमार दडिया, सदस्य

उपस्थित–

श्री एस.पी. सिंह, अधिवक्ता, अपीलार्थीगण
श्री योगेन्द्र सिंह, अधिवक्ता, प्रत्यर्थीगण

–निर्णय–

दिनांक 31.01.2025

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा अपील संख्या–156/2002 बउनवान श्री किशन वगै0 बनाम मदनलाल व अन्य में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31–12–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट ने प्रतिवादीगण/ रैस्पो0 के विरूद्ध एक राजस्व वाद सहायक कलक्टर, डीडवाना के न्यायालय में आराजी जैर के खातेदारी अधिकरों की घोषणा, स्थाई व्यादेश व रिकार्ड दुरूस्ती बाबत् पेश कर कथन किया कि ग्राम बेडवा स्थित आराजी खसरा नम्बर 336 रकबा 103 बीघा 6 बिस्वा भूमि प्रतिवादीगण/ रैस्पो0 के पिता स्वर्गीय श्री किशनाराम की खातेदारी व कब्जा काश्त की है। उक्त किशनाराम ने दिनांक 15–09–1966 को अपने खातेदारी के उक्त आराजी खसरा मे से पूर्वी दिशा की ओर 20 बीघा भूमि राशि रूपये 99/– प्रतिफल में वादी/ अपीलांट श्री किशन के पक्ष मे विक्रय कर दी और उक्त भूमि विक्रित भूमि का वास्तविक एंव भौतिक कब्जा वादी/अपीलांट को संभला दिया। किशनाराम ने वादी/अपीलांट को विश्वास दिलाया था कि इस विक्रित आराजी का शीघ्र ही नामान्तकरण अपीलॉट के नाम करवा दिया जायेगा। बाद मे किशनाराम का स्वर्गवास आज से लगभग 12–13 वर्ष पूर्व हो गया तथा उक्त संपूर्ण खसरा नम्बर 336 की खातेदारी उनके पुत्रगण होने के नाते प्रतिवादीगण रेस्पो0 के नाम आ गयी परन्तु उक्त विक्रित 20 बीघा भाग पर कब्जा काश्त वादी अपीलांट का ही था और आज भी है। रेस्पो0/ प्रतिवादीगण मदनलाल आदि को इस आशय को जानकारी भी थी कि उक्त विक्रीत 20 बीघा भाग वादी/अपीलांट को विक्रय कर कब्जा सौंप रखा है, परन्तु फिर भी उन्होने राजस्व अधिकारियों से सांठ–गाँठ कर संपूर्ण रकबे की खातेदारी का नामान्तकरण अपने नाम करा लिया। जो कि एकदम खिलाफ कब्जा, मौका एंव कानून है। अतः वादी को उक्त 20 बीघा भूमि पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं प्रतिवादीगण

को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। सहायक कलक्टर, डिडवाना से यह वाद दिनांक 16–05–1996 को अतिरिक्त जिला कलक्टर डीडवाना, नागौर के न्यायालय स्थानान्तरित होकर दायर हुआ। विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र को पुनः दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया। प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत करते हुए वादपत्र को खारिज किए जाने का निवेदन किया। विचारण न्यायालय ने वादपत्र, जवाबदावे के आधार पर अनुतोष सहित 05 तनकीयात कायम की। तत्पश्चात् उभयपक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिपिबद्ध करने के उपरान्त उभयपक्ष की बहस सुनकर निर्णय दिनांक 30.09.2002 से वाद वादी खारिज कर दिया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित इस निर्णय के विरूद्ध वादी/ अपीलार्थीगण ने राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर के न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31–12–2004 से खारिज कर दिया। इसी निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह द्वितीय अपील मंडल के समक्ष प्रस्तुत की।

3– हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4– विद्धान अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपील मीमों में वर्णित तर्को की पुनरावर्ती करते हुए मुख्य रूप से कथन किया कि विद्धान अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में वर्णित तृतीय अनुसूची के क्रमांक संख्या– 5, 6 व 23सी के अनुसार वादपत्र की सुनवाई करने का कानूनी तौर पर क्षेत्राधिकार ही प्राप्त नहीं था। इस प्रकार उन्होंने क्षेत्राधिकार विहिन निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो निरस्त किए जाने योग्य है। विद्धान अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने आगे यह भी तर्क किया कि अपीलांट ने रैस्पो0 के पिता से दिनांक 15–02–1966 को 99रू में क्रय की थी तथा मौके पर 30–35 वर्ष से अपीलांट कब्जा काश्त है और कमीश्नर रिपोर्ट में भी अपीलांट का कब्जा माना है। इस प्रकार वादी को ऐडवर्स पॉजेशन के आधार पर भी खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। चूंकि दस्तावेज 99रू मात्र का है और पंजीयन एवं मुद्रांक अधिनियम की धारा 17(1) के अनुसार 100रू से कम के विक्रय को पंजीबद्ध करवाना आवश्यक नहीं है। वादी ने विचारण न्यायालय के समक्ष दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों से विक्रय किया जाना प्रमाणित किया है किन्तु विचारण न्यायालय द्वारा उक्त दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों की अनदेखी करते हुए कायम की गयी तनकीयात को गलत रूप से अपीलांट के विरूद्ध तय की है। अतः

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों को अपास्त किया जाकर वाद डिक्री किया जावे। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपने तर्को के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये–

1. 1997 आरआरडी पेज 226
2. 2003(2) आरआरटी पेज 953

5– विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि 20 बीघा जमीन का बेचान 99/– रू में असंभव होने से बेचान दस्तावेज फर्जी एवं कूटरचित है तथा कब्जा भी अपीलांट का नहीं है। मूल खातेदार के देहान्त उपरांत वर्षो पूर्व विरासत का नामांतकरण खोला गया और विवादित आराजी के प्रत्यर्थीगण राजस्व रिकार्ड में खातेदार दर्ज है। आगे यह भी तर्क दिया कि दावे में तनकी संख्या– 1 व 2 को साबित करने का भार वादी पर था, जो मौखिक साक्ष्य से साबित नहीं होने से वादी के विरूद्ध तय हुई है। लिखत की हमने अंगूठा निशानी की जांच करवाई जो फर्जी पायी गयी। साख डालने वालों का अंगूठा साबित नहीं हुआ। दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में समवर्ती निर्णय पारित किये गये है जिनमें द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जावे।

6– हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त रिकार्ड, पारित निर्णयों एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का बारीकी से अध्ययन एवं मूल्यांकन किया।

7– प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण/अपीलार्थीगण ने प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध ग्राम बेडवा स्थित आराजी खसरा नम्बर 336 रकबा 103 बीघा 6 बिस्वा भूमि में से उत्तर दिशा की 20 बीघा भूमि राशि रूपये 99/– प्रतिफल में प्रतिवादी के पिता स्व0 किशनाराम से दिनांक 15–09–1966 को वादी/ अपीलांट श्री किशन ने क्रय करना और भौतिक कब्जा होना कथन करते हुए घोषणा, खातेदारी, स्थाई निषेधाज्ञा व रिकार्ड दुरूस्ती का वाद प्रस्तुत किया। प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत कर कथाकथित विक्रय को फर्जी होना कथन करते हुए वाद को मय खर्चा खारिज किए जाने की प्रार्थना की। विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्ष के मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिपिबद्ध किए जाने के उपरांत कथाकथित विक्रय विलेख को प्रमाणित नहीं होना मानते हुए वादी का

वाद खारिज कर दिया जिसकी पुष्टि करते हुए प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज कर दिया।

8– प्रकरण में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय समवर्ती होने के बावजूद भी राजस्व मण्डल जोकि राजस्व मामलों की उच्चतर न्यायालय (Apex Court) है, के स्तर पर द्वितीय अपील के माध्यम से यह देखा जाना/अभिनिर्धारित किया जाना अपरिहार्य हो जाता है कि आराजी जैर के संबंध मे प्रस्तुत वादपत्र को डिक्री करने की अधिकारिता विचारण न्यायालय को प्राप्त थी अथवा नहीं? इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण द्वारा दौराने बहस इस आशय की आपत्ति भी प्रकट की गई है कि अतिरिक्त जिला कलेक्टर, डीडवाना को विचारण न्यायालय के तौर पर निर्णय पारित करने की अधिकारिता प्राप्त नहीं थी। ऐसी स्थिति में प्रकरण के गुणावगुण पर निर्धारण से पूर्व विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आपत्ति के संबंध में विधिक प्रावधानों को दृष्टिगोचर किया गया।

9– प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के तहत आराजी जैर की घोषणा, स्थायी व्यादेश एवं तदनुसार रिकार्ड दुरूस्ती की मांग किये जाने पर वादपत्र को सहायक कलेक्टर, डीडवाना द्वारा दर्ज रजिस्टर करते हुए कार्यवाही की गई। कालान्तर में क्षेत्राधिकार परिवर्तन होने की स्थिति में प्रकरण में अतिरिक्त जिला कलेक्टर, डीडवाना द्वारा पुनः दर्ज रजिस्टर कर सुनवाई करते हुए निर्णय व डिक्री दिनांक 30–09–2002 को पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में हमने अतिरिक्त जिला कलेक्टर, डीडवाना द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के तहत के पारित निर्णय एवं डिक्री बाबत् क्षेत्राधिकारिता के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की तृतीय अनुसूची का अवलोकन किया गया। उक्त अनुसूची के क्रम संख्या 5 में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 के तहत वादी के अधिकारों की घोषणा संबंधी वाद के निपटारे करने के लिये सक्षम न्यायालय/अधिकारी सहायक कलेक्टर को अधिकृत किया गया है। इसी क्रम में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के तहत शाश्वत व्यादेश के वाद के निपटारे हेतु अनुसूची के क्रम संख्या 23ग के अनुक्रम में सक्षम न्यायालय/अधिकारी सहायक कलेक्टर को अधिकृत किया गया है। इस प्रकार विधि में उपलब्ध प्रावधानों के अवलोकन मात्र से यह जाहिर होता है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं 188 के तहत वादपत्र पर सुनवाई

का क्षेत्राधिकार अतिरिक्त जिला कलेक्टर, डीडवाना को प्राप्त नहीं होने के बावजूद भी उनके द्वारा क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर निर्णय व डिक्री पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में अतिरिक्त जिला कलेक्टर, डीडवाना द्वारा आराजी जैर बाबत् सारभूत कानून (Substantial Law) जिसके माध्यम से पक्षकारों के अधिकारों एवं दायित्वों का निर्धारण किया जाता है, की अवहेलना करते हुए निर्णय व डिक्री दिनांक 30–09–2002 पारित किया जाना परिलक्षित होता है। इसी क्रम में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2003 पार्ट II पेज 953 में अभिलिखित किया गया है किः–

Rajasthan Tenancy Act, 1955 - Secs. 224, 235 - District Collector transferred the suit to Addl. Collector who passed the decree - Legality - Court of Asstt. Collector is a competent court for thr trail of the suit for declaration partition & permanent injunction - Case can be transferred to competent Court only - No notification produced to show that powers can be delegated to Addl. Collector - Addl. Collector has passed the judgment beyond the jurisdiction- RAA has also ignored the legal position - Held, judgments & decree are without jurisdiction & set aside & case remanded to Collector to transfer it to competent Court.

इस प्रकार उपरोक्त विधिक प्रावधानों एवं न्यायिक दृष्टांत के आलोक में यह स्पष्ट जाहिर हे कि अतिरिक्त जिला कलेक्टर, डीडवाना द्वारा निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30–09–2002 पारित करने में क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि कारित की गई है। प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण द्वारा क्षेत्राधिकार के संबंध में उठाई गई आपत्ति के संबंध में प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 1997 पेज 226 जिसमें अभिलिखित किया गया है किः–

Order which is without jurisdiction is a nullity, and it can be challenged whenever and wherever it is sought to be enforced.,

उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत भी विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण द्वारा क्षेत्राधिकार के संबंध में उठाई गई आपत्ति को समर्थित करता है।

10– परिणामतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विद्धान विचारण न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,

डीडवाना (नागौर) द्वारा वाद संख्या – 66/2000 बउनवान श्री किशन बनाम मदनलाल व अन्य में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30–09–2002 तथा प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा अपील संख्या – 156/2002 बउनवान श्री किशन वगै0 बनाम मदनलाल व अन्य में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31–12–2004 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर, डीडवाना को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वादप्रकिया के अनुरूप उभय पक्षों की पुनः सुनवाई करते हुए विधि सम्मत् निर्णय पारित करें।

11– पक्षकारान को जरिए अधिवक्तागण पाबन्द किया जाता है कि वह दिनांक 05–03–2025 को विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर, डीडवाना के समक्ष उपस्थित होवें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश कुमार दड़िया)
सदस्य

(हेमन्त कुमार गेरा)
अध्यक्ष